

क्रमांक : वसूली / 2013-14 / २५८

दिनांक : १३/११/१३

महाप्रबंधक,

1. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक,
सांगवाड़ा।

विषय :- उदयपुर शहर के लिए प्रत्तिवित नवीन पंजीकरण योजना के आवेददारों से आवेदन पत्र जमा कराने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उदयपुर शहर के लिए पंजीकरण योजना प्रारंभ की जानी है इस हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात् असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य निम्न शर्तों पर करवाया जाना है :-

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजना वार खाता खोलकर जमा करने होंगे।
3. अन्तिम तिथि के पश्चात् सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में साफ्ट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौपनी होगी।
4. बैंक को सभी ड्राफ्टों को योजना वार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक को प्राप्त राशि की एक लाख के गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गयी दिनांक तक प्रचलित ब्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉटरी के पश्चात् वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
7. उक्त समस्त कार्यों का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य जोड़े जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा।

भवदीय

वित्तीय सलाहकार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना मण्डल की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
6. निदेशक (विधि)/अति. मुख्य नगर नियोजक/जन सम्पर्क अधिकारी, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त को भेजकर लेख है कि अधिकृत बैंक में उक्त कार्य के सम्पादन हेतु खाता खोलने एवं निर्देश देने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।
8. रक्षित पत्रावली

 वित्तीय सलाहकार
 १७/१९

क्रमांक : बसूली / 2013-14 / २७९

दिनांक : १२/१/२०

महाप्रबंधक,

1. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,
2. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक,
सेक्टर-11, उदयपुर।

विषय :- उदयपुर शहर के लिए प्रस्तावित नवीन पंजीकरण योजना दे आवेदकों से आवेदन पत्र जमा कराने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उदयपुर शहर के लिए पंजीकरण योजना प्रारंभ की जानी है इस हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात् असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य निम्न शर्तों पर करवाया जाना है :-

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजना वार खाता खोलकर जमा करने होंगे।
3. अन्तिम तिथि के पश्चात् सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में सापट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौंपनी होगी।
4. बैंक को सभी ड्राफ्टों को योजना वार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक को प्राप्त राशि की एक लाख के गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गयी दिनांक तक प्रचलित ब्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉटरी के पश्चात् वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौंपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफ़र्ण्ड करनी होगी।
7. उक्त समस्त कार्यों का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उग्रोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य जोड़े जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा।

भवदीय

०८ वित्तीय सलाहकार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी संचय-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना मण्डल की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
6. निदेशक (विधि)/अति. मुख्य नगर नियोजक/जन सम्पर्क अधिकारी, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त को भेजकर लेख है कि अधिकृत बैंक में उक्त कार्य के सम्पादन हेतु खाता खोलने एवं निर्देश देने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।
8. रक्षित पत्रावली

०८ वित्तीय सलाहकार

०८/११

क्रमांक : पसूली / 2013-14 / ४०६०

दस्तावेज़ : १२/९११३

महाप्रबंधक,

**1. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,
बांसवाड़ा।**

विषय :- उदयपुर शहर के लिए प्रस्तावित नवीन पंजीकरण योजना के आवेदकों से आवेदन पत्र जमा करने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उदयपुर शहर के लिए पंजीकरण योजना प्रारंभ की जानी है इस हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात् असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य निम्न शर्तों पर करवाया जाना है :-

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजना वार खाता खोलकर जमा करने होंगे।
3. अन्तिम तिथि के पश्चात् सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में साफ्ट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौंपनी होगी।
4. बैंक को सभी ड्राफ्टों को योजना वार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक को प्राप्त राशि की एक लाख के गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गयी दिनांक तक प्रचलित ब्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉटरी के पश्चात् वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौंपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
7. उक्त समस्त कार्यों का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य जोडे जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा।

भवदीय

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना मण्डल की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
6. निदेशक (विधि)/अति. मुख्य नगर नियोजक/जन सम्पर्क अधिकारी, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त को भेजकर लेख है कि अधिकृत बैंक में उक्त कार्य के सम्पादन हेतु खाता खोलने एवं निर्देश देने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।
8. रक्षित पत्रावली

क्रमांक : वसूली / 2013-14 / २५।

दिनांक : १३।१।१३

महाप्रबंधक

1. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, निम्बाहेडा | 2. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, निम्बाहेडा |

विषय :- उदयपुर शहर के लिए प्रस्तावित नवीन पंजीकरण योजना के आवेदकों से आवेदन पत्र जमा कराने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उदयपुर शहर के लिए पंजीकरण योजना प्रारंभ की जानी है इस हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात् असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य निम्न शर्तों पर करवाया जाना है :—

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
 2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजना वार खाता खोलकर जमा करने होंगे।
 3. अन्तिम तिथि के पश्चात् सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में सापट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौंपनी होगी।
 4. बैंक को सभी झाफ्टों को योजना वार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
 5. संबंधित बैंक को प्राप्त राशि की एक लाख के गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गयी दिनांक तक प्रचलित ब्याज दर से बनानी होगी।
 6. वरीयता लॉटरी के पश्चात् वृत्त / खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौंपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
 7. उक्त समस्त कार्यों का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
 8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य जोड़े जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा।

भवदीय

संलग्न :— उपरोक्तानुसार ।

१८ वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव—अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
 2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
 3. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम / द्वितीय / तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
 4. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
 5. एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना मण्डल की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
 6. निदेशक (विधि) / अति. मुख्य नगर नियोजक / जन सम्पर्क अधिकारी, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
 7. उप आवासन आयुक्त, वृत् को भेजकर लेख है कि अधिकृत बैंक में उक्त कार्य के सम्पादन हेतु खाता खोलने एवं निर्देश देने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।
 8. रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार
१७८

क्रमांक : वसूली / 2013-14 / ७५२

महाप्रबंधक,

1. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक,
परतापुर।

विषय :- उदयपुर शहर के लिए प्रस्तावित वीन पंजीकरण योजना के आवेदकों से आवेदन पत्र जमा कराने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उदयपुर शहर के लिए पंजीकरण योजना प्रारंभ की जानी है इस हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात् असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य निम्न शर्तों पर करवाया जाना है :-

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजना वार खाता खोलकर जमा करने होंगे।
3. अन्तिम तिथि के पश्चात् सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में साप्ट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौपनी होगी।
4. बैंक को सभी ड्राफ्टों को योजना वार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक को प्राप्त राशि की एक लाख के गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गयी दिनांक तक प्रचलित व्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉटरी के पश्चात् वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
7. उक्त समस्त कार्यों का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य जोड़े जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा।

भवदीय

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

A वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना मण्डल की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
6. निदेशक (विधि)/अति. मुख्य नगर नियोजक/जन सम्पर्क अधिकारी, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त को भेजकर लेख है कि अधिकृत बैंक में उक्त कार्य के सम्पादन हेतु खाता खोलने एवं निर्देश देने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।
8. रक्षित पत्रावली

q वित्तीय सलाहकार
१११

क्रमांक : वसूली / 2013-14 / २६८
महाप्रबंधक,

दस्तावेज़ : १३/१/१३

1. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,
2. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक,
भिलवाड़ा

विषय :- उदयपुपर शहर के लिए प्रस्तावित नवीन पंजीकरण योजना के आवेदकों से आवेदन पत्र जमा कराने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उदयपुपर शहर के लिए पंजीकरण योजना प्रारंभ की जानी है इस हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात् असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य निम्न शर्तों पर करवाया जाना है :-

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजना वार खाता खोलकर जमा करने होंगे।
3. अन्तिम तिथि के पश्चात् सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में साफ्ट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौपनी होगी।
4. बैंक को सभी ड्राफ्टों को योजना वार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक को प्राप्त राशि की एक लाख के गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गयी दिनांक तक प्रचलित ब्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉटरी के पश्चात् वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
7. उक्त समस्त कार्यों का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य जोड़े जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा।

भवदीय

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

८४ - वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम / द्वितीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना मण्डल की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
6. निदेशक (विधि) / अति. मुख्य नगर नियोजक / जन सम्पर्क अधिकारी, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त को भेजकर लेख है कि अधिकृत बैंक में उक्त कार्य के सम्पादन हेतु खाता खोलने एवं निर्देश देने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।
8. रक्षित पत्रावली

८५ वित्तीय सलाहकार
१८/११८